अनुदान संख्या 27 – आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 27 - DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3338,25,00		6387,63,00	6062,90,52	-324,72,48
पूरक	Supplementary	3049,38,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					155,76,16
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	48320,71,00		54443,09,00	20792,78,00	-33650,31,00
पूरक	Supplementary	6122,38,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					32867,86,32

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹32472.48 लाख) सितंबर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹304938.00 लाख के पूरक अनुदान का 11 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹32472.48 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary grants of ₹304938.00 lakhs obtained in September, 2020, and February, 2021 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	26246.00	12919.16	12128.43	-790.73
पु.	R.	-13326.84			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	2489.00	2779.54	2114.91	-664.63
पु.	R.	290.54			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	138954.00	101260.00	86018.11	-15241.89
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-37696.00			
मुख्य शीर्ष "3605"	Major Head "3605"				
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Co-operation with Other Countries				
मू.	O.	87113.00	270080.55	269963.54	-117.01
पू.	S.	147604.00			
पु.	R.	35363.55			

(I) ₹11778.85 लाख का प्रावधान अठारह शीर्षों के अतंर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें ₹11500.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹11778.85 lakhs remained wholly unutilized under eighteen heads; of these ₹11500.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – जी–20 भारतीय अध्यक्षता 2022" – ₹10000.00 लाख – जी–20 शिखर सम्मेलन के स्थगन के कारण।

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - G20 India Presidency 2022" - ₹10000.00 lakhs - due to postponement of G-20 Summit.

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग" – ₹1500.00 लाख – दूसरे हिस्से के लिए पात्रता हेतु शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण।

(B) Major Head "3475" - "International Co-operation - Technical Co-operation with African Development Bank" - ₹1500.00 lakhs - due to non-fulfillment of conditions to be eligible for second tranche.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं;

(का) "आर्थिक कार्य विभाग" – ₹3088.29 लाख की बचत (₹14984.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विज्ञापन तथा प्रचार, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक व्यय, व्यावसायिक सेवाओं तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "ऋण प्रबंधन कार्यालय" – ₹567.44 लाख की बचत (₹624.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय खर्चों तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2070" – "निदेशन और प्रशासन – प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण" के अंतर्गत – ₹581.86 लाख की बचत (₹1197.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, किए गए दौरों, किराए तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3475" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(का) "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – अवसंरचना विकास के लिए सहायता – व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण" – ₹18693.00 लाख की बचत (₹21069.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत निधियां रिलीज किए जाने के लिए कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम 2015 के लिए कमीशन – कमीशन की अदायगी" – ₹806.94 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित लाख ₹4001.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम मात्रा में सोना जमा होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Department of Economic Affairs" - saving of ₹3088.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14984.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, medical re-imbursements, advertisement and publicity, publications, other administrative expenses, professional services and other establishment related expenses.

(B) "Debt Management Office" - saving of ₹567.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹624.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards office expenses and professional services.

(III) Under Major Head "2070" - "Direction and Administration - Security Appellate Tribunal" - saving of ₹581.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1197.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards Leave Travel Concession, leave encashment, medical reimbursement, tours undertaken, rent and establishment related expenses.

(IV) Under Major Head "3475" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Financial Support for Infrastructure Development - Assistance for Infrastructure Development - Viability Gap Funding" - saving of ₹18693.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21069.00 lakhs) was due to receipt of less demand for release of funds under the scheme.

(B) "Commission for Gold Monetization Scheme 2015 - Commission Payment" - saving of ₹806.94 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4001.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh) was due to less deposit of gold owing to COVID-19 pandemic.

(गा) "आरक्षित निधि को अंतरण – स्वर्ण रिजर्व निधि" – ₹31289.00 लाख की बचत (₹99000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सोना कम मात्रा में जमा होने तथा सोने की कीमतों में उतार–चढ़ाव होने के कारण हुई।

(C) "Transfer to Reserve Fund - Gold Reserve Fund" - saving of ₹31289.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹99000.00 lakhs) was due to less deposit of gold and fluctuation of gold prices.

(घा) "अन्य व्यय – भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण" – ₹2241.77 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण वार्षिक महंगाई भत्ते का भुगतान न होने और कम संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(D) "Other Expenditure - Training of Indian Economic Service Officers" - saving of ₹2241.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-payment of incremental dearness allowance and conduction of less training programmes owing to COVID-19 pandemic.

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹942.65 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत से 70 प्रतिशत थीं।

(V) Under three heads savings of ₹942.65 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 25 percent to 70 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपरोक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3299915.96 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹1478.04 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹3299915.96 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹1478.04 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3475" – "अन्य व्यय – सहायता अनुदान – सामान्य" – ₹2015.96 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1995.50 लाख था।

(A) Major Head "3475" - "Other Expenditure - Grants-in-aid-General" - ₹2015.96 lakhs. Actual excess, however, was ₹1995.50 lakhs.

(खा) बचतें मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग" –

(B) Major Head "3605" - "Co-operation with other countries" -

(क) "भारतीय कंपनियों के लिए ब्याज समकरण सहायता" – ₹11774.00 लाख।

(a) "Interest Equalisation support for Indian Companies" - ₹11774.00 lakhs.

(ख) "एक्सिम बैंक को पुराने शेष ब्याज का भुगतान" – ₹21205.00 लाख।

(b) "Payment for chronic interest overdue to Exim bank" - ₹21205.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3605" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – "अन्य व्यय – भारत – जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग" – ₹2159.63 लाख का अधिक व्यय (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1000.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के लंबित बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3605" - "Other Expenditure - Indo - German Bilateral Development Co-operation" - excess of ₹2159.63 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1000.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh) was due to

आवश्यकता के कारण हुआ।

requirement of additional funds towards clearance of pending bills of previous years.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹3365031.00 लाख) सितंबर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹612238.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं तथा यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 62 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹3365031.00 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹612238.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 62 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4046"	Major Head "4046"				
मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint				
मू.	O.	700000.00			
पू.	S.	1.00	326585.23	263973.98	-62611.25
पु.	R.	-373415.77			
मुख्य शीर्ष "4058"	Major Head "4058"				
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Stationery and Printing				
मू.	O.	1000.00	..	..	..
पु.	R.	-1000.00			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1800.00	100.00	17.21	-82.79
पु.	R.	-1700.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5465"	Major Head "5465"				
सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं में निवेश	Investments in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	1350003.00			
पू.	S.	2.00	748274.45	748272.44	-2.01
पु.	R.	-601730.55			
मुख्य शीर्ष "5466"	Major Head "5466"				
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Investments in International Financial Institutions				
मू.	O.	437325.00			
पू.	S.	612234.00	1043572.00	1038501.34	-5070.66
पु.	R.	-5987.00			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	2207999.00			
			1.00	..	-1.00
पु.	R.	-2207998.00			
मुख्य शीर्ष "7466"	Major Head "7466"				
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऋण	Loans to International Financial Institutions				
पू.	S.	1.00			
			5546.00	5442.97	-103.03
पु.	R.	5545.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "7475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	Major Head "7475" Loans for Other General Economic Services				
मू.	O.	100000.00	..	..	..
पु.	R.	-100000.00			
मुख्य शीर्ष "7610" सरकारी सेवकों आदि को ऋण	Major Head "7610" Loans to Government Servants etc.		25000.00	14628.85	-10371.15

(I) ₹2358316.00 लाख का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹2358308.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹2358316.00 lakhs remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹2358308.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4058" – "सरकारी मुद्रणालय – बजट मुद्रणालय के लिए मशीनों की खरीद" – ₹1000.00 लाख – कोविड–19 महामारी के कारण मशीनरी की अधिप्राप्ति नहीं होने के कारण।

(A) Major Head "4058" - "Government Presses - Purchase of Machines for Budget Press" - ₹1000.00 lakhs - due to non-procurement of machinery owing to COVID-19 pandemic.

(खा) मुख्य शीर्ष "5466" –

(B) Major Head "5466" -

(क) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि – अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि में अंशदान (भारत के बढ़े हुए कोटा के तहत एसडीआर खरीद)" – ₹16800.00 लाख – स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एसडीआर) के हिस्से की प्राप्ति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तिमाही प्रभारों को प्रतिसंतुलित करने के लिए स्थगित प्रभारों के समायोजन के कारण।

(a) "International Monetary Fund - Subscription to International Monetary Fund (SDR purchase against India's quota increase)" - ₹16800.00 lakhs - due to using the receipt of share of Special Drawing Rights and deferred charges adjustments to offset the quarterly charges of International Monetary Fund.

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में निवेश – चयनित पूंजी वृद्धि (एससीआई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम

(b) "Investment in International Finance Corporation - Payment to International

को भुगतान" – ₹32510.00 लाख – चयनित पूंजी वृद्धि में भागीदारी करने की भारत की अपात्रता के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "5475" –

(क) "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – अवसंरचना विकास के लिए सहायता – व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण" – ₹3000.00 लाख – स्कीम के अंतर्गत निधियों को जारी कराने के लिए मांग की प्राप्ति न होने के कारण।

(ख) "अन्य व्यय – अवसंरचना पाइपलाईन के लिए सहायता" – ₹2204998.00 लाख – अवसंरचना पाइपलाईन की सहायता हेतु करार का निष्पादन न होने के कारण।

(घा) मुख्य शीर्ष "7475" – "अन्य ऋण – कर्ज की नई व्यवस्थाओं (एनएबी) के अंतर्गत आईएमएफ को ऋण" – ₹100000.00 लाख – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निधियों को जारी करने हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "4046" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "स्वर्ण की खरीद – स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम 2015" – ₹422611.24 लाख की बचत (₹550000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सोना कम मात्रा में जमा होने तथा सोने की कीमतों में उतार–चढ़ाव होने के कारण हुई।

(खा) "भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रण निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद – सिक्के" के अंतर्गत – ₹13415.78 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹150001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतिम बिक्री मूल्य तथा उचित बिक्री मूल्य के बीच अंतर होने के कारण।

Finance Corporation towards Selective Capital Increase (SCI)" - ₹32510.00 lakhs - due to non-eligibility of India to participate in Selective Capital Increase.

(C) Major Head "5475" -

(a) "Financial Support for Infrastructure Development - Assistance for Infrastructure Development - Viability Gap Funding" - ₹3000.00 lakhs - due to non-receipt of demand for release of funds under the scheme.

(b) "Other Expenditure - Support for Infrastructure Pipeline" - ₹2204998.00 lakhs - due to non-execution of the agreement towards Support for Infrastructure Pipeline.

(D) Major Head "7475" - "Other Loans - Loans to IMF under New Arrangements to Borrow (NAB)" - ₹100000.00 lakhs - due to non-receipt of demand for release of funds from International Monetary Fund.

(II) Under Major Head "4046" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Purchase of Gold - Gold Monetization Scheme 2015" - saving of ₹422611.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550000.00 lakhs) was due to less deposit of gold and fluctuation in gold prices.

(B) "Purchase of Coins from Security Printing & Minting Corporation of India Ltd. - Coins" - saving of ₹13415.78 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹150001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to difference between provisional selling price and fair selling price.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – आईईएस अधिकारियों के लिए 90 रिहाइशी यूनिटों का निर्माण" के अंतर्गत – ₹1782.79 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनाधिकृत अतिक्रमणों को हटाने में विलंब के चलते निर्माण कार्य आरंभ न होने के कारण।

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Construction of 90 dwelling units for IES officers" - saving of ₹1782.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to non-initiation of construction pending removal of unauthorized encroachments.

(III) मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – आरक्षित निधि/जमा खातों को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि" के अंतर्गत – ₹1100000.00 लाख की बचत (₹1300000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अवसंरचना पाईपलाईन के लिए सहायता हेतु निधियों की आवश्यकता न होने के कारण उत्तरव्यापी प्रभाव के कारण हुई।

(III) Under Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - National Investment fund" - saving of ₹1100000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300000.00 lakhs) was due to the consequential effect of non-requirement of funds towards Support for Infrastructure Pipeline.

(IV) मुख्य शीर्ष "5466" – "अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी) में निवेश – अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक को अभिदान" – ₹816.54 लाख की बचत (₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹34217.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर परिवर्तन के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "5466" - "Investments in International Bank for Reconstruction & Development (IBRD) - Subscription to the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)" - saving of ₹816.54 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹34217.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh) was due to exchange rate variation.

(V) मुख्य शीर्ष "7610" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(V) Under Major Head "7610" - savings occurred under the following heads:-

(का) "गृह निर्माण अग्रिम – मंत्रालय तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" – ₹7704.79 लाख की बचत (₹17500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "House Building Advances - Ministries & Union Territory Administrations" - saving of ₹7704.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17500.00 lakhs); and

(खा) "कम्प्यूटरों की खरीद के लिए अग्रिम – कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरणों आदि की खरीद के लिए अग्रिम" – ₹2646.37 लाख की बचत (₹7476.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Advances for purchase of Computers - Advances for purchase of Computers and other peripherals etc." - saving of ₹2646.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7476.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less demands owing to COVID-19 pandemic.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹398.55 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹545551.05 लाख) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश" –

(क) "राष्ट्रीय निवेश तथा अवसंरचना निधि में निवेश" – ₹306744.90 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹306744.89 लाख था।

(ख) "किफायती तथा मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो" – ₹91526.05 लाख।

(ग) "एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्त पोषण प्लेटफार्म में पूंजी डाला जाना" – ₹99999.50 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "5466" –

(क) "अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में निवेश – अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई) के लिए भुगतान" – ₹34735.80 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹32369.69 लाख था।

(ख) "विश्व बैंक – ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) न्यू विकास बैंक (एनडीबी) को अभिदान" – ₹6999.80 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6712.45 लाख था।

(VI) Under one head saving of ₹398.55 lakhs occurred constituting 34 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (₹545551.05 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - Investments in Public Sector & Other Undertakings, Banks, etc." -

(a) "Investment into National Investment and Infrastructure Fund" - ₹306744.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹306744.89 lakhs.

(b) "Special Window for Affordable and Middle - Income Housing" - ₹91526.05 lakhs.

(c) "Capital Infusion into NIIF Infrastructure Debt Financing Platform" - ₹99999.50 lakhs.

(B) Major Head "5466" -

(a) "Investment in International Finance Corporation - Payment to International Finance Corporation towards General Capital Increase (GCI)" - ₹34735.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹32369.69 lakhs.

(b) "World Bank - Subscription to Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) New Development Bank (NDB)" - ₹6999.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹6712.45 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "7466" – "अफ्रीकी विकास निधि को ऋण – अफ्रीकी विकास निधि (एएफडीएफ) को ब्रिज ऋण" – ₹5545.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5441.97 लाख था।

(C) Major Head "7466" - "Loans to African Development Fund - Bridge Loan to African Development Fund (AfDF)" - ₹5545.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5441.97 lakhs.

5. *निर्भया निधिः–*

'निर्भया निधि' की स्थापना वर्ष 2013–14 में उन स्थायी उपायों/बचावों के वित्तपोषण के लिए की गई थी जिनसे महिलाओं के बचाव और सुरक्षा में व्यापक वृद्धि होती है और जो दीर्घकालिक और प्रभावी होते हैं। इस निधि का उद्देश्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण तथा सुरक्षा और बचाव हेतु विभिन्न उपायों के लिए वित्त व्यवस्था करना है। निधियां बजट प्रावधान के अनुसार भारत की समेकित निधि के राजस्व व्यय शीर्ष से स्थानांतरित की जाएंगी। 'निर्भया निधि को अंतरण' के लिए बजटीय प्रावधान उन संबंधित अनुदान मांगों से किया जाएगा जिनमें व्यय आबंटन किया गया है।

5. ***Nirbhaya Fund: -***

The 'Nirbhaya Fund' was established during 2013-14 to be used to fund those enduring measures/ interventions which substantially enhance the safety and security of women and are sustainable and effective over a long period of time. The purpose of the fund is to finance various initiatives taken by different Ministries/Departments of the Government towards empowering girl children and women ensuring their safety and security. Funds will be transferred as per budget provisions from the Revenue Expenditure head from the Consolidated Fund of India. The budgetary allocations for 'transfer of the Nirbhaya Fund' will be made from the respective Demands for Grants where expenditure allocations are made.

2020–21 के लिए निधि के लेखे इस प्रकार थे :–

The Account of the Fund for 2020-21 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1755,27,56
प्राप्तियां	Receipt	677,89,00
अदायगियां	Payments	476,87,92
अंतशेष	Closing Balance	1956,28,64

6. *राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधिः–*

'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' की स्थापना स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान से संबंधित विभिन्न नई परियोजनों को वित्त पोषण करने के लिए की गई थी। 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में उत्पादित कोयले पर ऊर्जा उपकर नाम की लेवी लगाने का प्रस्ताव किया गया। इसे दिनांक 22.06.2010 को गजट अधिसूचना संख्या

6. ***National Clean Energy Fund: -***

The 'National Clean Energy Fund' was established to finance various new projects relating to researches in Clean Energy etc. In order to meet the objectives of 'National Clean Energy Fund' a levy called Energy Cess on coal produced in India was proposed. This was notified in Gazette Notification

06–2010–स्वच्छ ऊर्जा उपकर में अधिसूचित किया गया था। स्वच्छ ऊर्जा उपकर की इस प्रस्तावित लेवी को कर राजस्व के रूप में वसूल किया जाना है और इस प्रकार सृजित हुई निधियों को आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाएगा। चिन्हित स्कीमों/नई परियोजनाओं पर व्यय का प्रावधान कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान की मांग में किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूलियां भी उसी कार्यात्मक व्यय शीर्ष के अंतर्गत की जाएंगी ताकि स्कीमों पर व्यय और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूली का मिलान हो सके।

No. 06-2010 - Clean Energy Cess dt. 22.06.2010. The proposed levy of Clean Energy Cess is to be collected in the form of Tax Revenue and the funds so generated will be transferred to Reserve Fund. The provision for expenditure on identified schemes/new projects will be made in Demand for Grants of different Ministries/Departments under the functional Major Heads, The recoveries from the National Clean Energy Fund will also be made under the same functional expenditure head so the expenditure on the schemes and recovery from National Clean Energy Fund get matched.

2020–21 के लिए निधि के लेखे इस प्रकार थेः–

The Account of the Fund for 2020-21 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1
प्राप्तियां	Receipt	शून्य NIL
अदायगियां	Payments	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	1

7. *गारंटी मोचन निधिः–*

इस निधि की स्थापना संघ सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं आदि को दी गई गारंटी, जब भी ऐसे गारंटी मांगी जाती है, के मोचन के लिए की गई थी। इस निधि को वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले वार्षिक आबंटन द्वारा धन मुहैया कराया जाता है। जब गारंटी मांगी जाती है तो इस प्रकार के व्यय को संबंधित अनुदान से संबंधित ऋण शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है और निधि से वसूली भी ऋण शीर्ष के अंतर्गत ऋण प्रविष्टियों के रूप में लेखाबद्ध की जाएगी।

7. ***Guarantee Redemption Fund:-***

The fund was constituted for redemption of Guarantees given by the Union Government to Central Public Sector Undertakings, Financial Institutions etc., whenever such guarantees are invoked. The fund is fed by annual allocation to be made by Ministry of Finance. When the Guarantees are invoked, such expenditure may be shown under the concerned loan head of respective grant and recovery from the fund will also be accounted for under the loan head as deduct entry.

2020–21 के लिए निधि के लेखे इस प्रकार थे:– *The Account of the Fund for 2020-21 was as follows:-*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	5229,96,00
प्राप्तियां	Receipt	1600,00,00
अदायगियां	Payments	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	6829,96,00